कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल
बालाघाट (म.प्र.)

दूरभाष नं.–(07632-248414)
Email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 6343 / बालाघाट, दिनांक 12/08/2021

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र

विषयः– बालाघाट जिले के दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र खैरलांजी (सा.) के संरक्षित वनखण्ड– मोहगांवघाट के वनकक्ष क्रमांक 807, 809 में आवेदित रकबा 28.020 हेक्टेयर (69.22 एकड) वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा- 2 (II) के अंतर्गत मेंगनीज ओर खनिज के उत्खनन हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की नियमानुसार शासन अनुमति प्रदान करने बाबत्। **ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/MIN/19894/2016** आवेदक संस्थान – मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.)

संदर्भ :– आवेदक संस्थान– मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.) का पत्र क्रमांक –निरंक– दिनांक 22.07.2021 एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर (सा0) वनमण्डल, बालाघाट (म.प्र.) का पत्र क्रमांक / मा.चि. –1 / 1677 दिनांक 27.05.2021

––00––

विषयान्तर्गत उपरोक्त संदर्भित आवेदक संस्थान– मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.) द्वारा उनके पत्र क्रमांक –निरंक– दिनांक 22.07.2021 से बालाघाट जिले के दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमण्डल अन्तर्गत खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्रांतर्गत वनक्षेत्र, वनखण्ड– मोहगांवघाट के वनकक्ष क्रमांक 807, 809 में आवेदित रकबा 28.020 हेक्टेयर (69.22 एकड) वनभूमि में मेंगनीज ओर खनिज के उत्खनन हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की नियमानुसार स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदान किये जाने बाबद् ऑन लाईन में प्रस्ताव एवं हार्डकापी में प्रस्ताव 05 प्रतियों में वनमंडल कार्यालय में प्रेषित किया है, जिसमें प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी मूलतः 04 प्रतियों में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही एवं आवेदित वनक्षेत्र का स्थल सत्यापन करने तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन विभाग से संबंधित आवश्यक जानकारियों की पूर्णरूपेण पूर्ति की जाने हेतु संलग्न भेजी जाती है। उपरोक्त संबंध मे आपको विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि प्रकरण में ऑन लाईन प्रपत्र भाग–2 (PART-II) के बिंदु क्रमांक 4 (ii) में दर्शित कॉलमों में वांछित जानकारी भरी जाने हेतु प्रभावित वृक्षों की गणना सूची, प्रजातिवार (Species-wise), गोलाईवार (Girth-wise) (वृक्षों की गोलाई, 0–20, 21–30, 31–60, 61–90, 91–120, 121–150, 151 to above = योग), मय वैज्ञानिक नाम (Scientific name), लोकल नाम (Local name), सहित मय गोशवारा के बनाकर शीघ्र प्रेषित की जावे। तथा साथ ही प्रस्ताव में प्रभावित वनक्षेत्रों में उपस्थित वन्यप्राणियों एवं जीव जन्तुओं की भी जानकारी दी जावें।

कृपया उक्त प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही इत्यादि शीघ्र पूर्ण कर एवं प्रस्ताव अपने स्पष्ट अभिमत अनुशंसा सहित उपवनमंडलाधिकारी कटंगी (सा.) उपवनमंडल के माध्यम से उनके स्पष्ट अभिमत अनुशंसा सहित शीघ्र वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें। ताकि उक्त प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही पूर्ण उपरांत निर्धारित 24 बिन्दुओं पर अधारित वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑनलाईन में भरा जाने वाला प्रपत्र भाग–2 (PART-II) में नियमानुसार वांछित पूर्ण जानकारी भरी जाकर प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्ड कापी में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु वनवृत्त कार्यालय बालाघाट को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।
(मूलतः प्रस्ताव 04 प्रतियों में)

(ग्रेजेश कुमार वरकड़े)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

F:\Computer 2\DM\Project\Arpan Ferro Alloys Balaghat\Memo.doc

पृष्ठा. कमांक / मा.चि. / 6344 / बालाघाट, दिनांक 12/8/2021

प्रतिलिपि :–

(1) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित आवेदक संस्थान– मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.) के पत्र क्रमांक –निरंक– दिनांक 22.07.2021 जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(2) मुख्य वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित आवेदक संस्थान– मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.) के पत्र क्रमांक –निरंक– दिनांक 22.07.2021 जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के संबंध में एवं आपके पत्र पृ. क्रमांक / व्यय / 1267 दिनांक 09.04.2021, तथा पत्र पृ. क्रमांक / व्यय / 1268 दिनांक 09.04.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(3) कलेक्टर, जिला–बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(4) वनमंडल अधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आवेदक संस्थान– मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.) के पत्र क्रमांक –निरंक– दिनांक 22.07.2021 जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के संबंध में एवं प्रकरण में आपके पत्र क्रमांक / मा.चि.–1 / 1677 दिनांक 27.05.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(5) उपवनमंडलाधिकारी, कटंगी (सा0) उपवनमंडल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित प्रकरण के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विषयान्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन परिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र से तत्काल शीघ्र प्राप्त कर आप स्वयं प्रस्ताव में आवेदित प्रस्तावित वनक्षेत्र स्थल का सत्यापन एवं प्रभावित वृक्षों का सत्यापन कर अभिलेख इत्यादि में आवश्यक सत्यापन कर प्रस्ताव अपने स्पष्ट अभिमत अनुशंसा के वनमंडल कार्यालय को अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

(6) आवेदक संस्थान – मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित आपके संदर्भित पत्र क्रमांक –निरंक– दिनांक 22.07.2021 एवं वनमण्डलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट (म.प्र.) के पत्र पृ. क्रमांक / मा.चि.–1 / 1678, दिनांक 27.05.2021, जो आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। **कृपया उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में आप इस वनमंडल के संबंधित उपवनमंडलाधिकारी कटंगी (सा.) उपवनमण्डल मोबाईल नं. 9424790240, तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र मोबाईल नं. 9424790207, से तत्काल सम्पर्क कर उन्हें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन हेतु आवेदित प्रस्तावित वनभूमि स्थल क्षेत्र का संयुक्त स्थल निरीक्षण एवं क्षेत्र सत्यापन करावें, साथ ही वन विभाग से संबंधित आवश्यक जानकारियों की पूर्णरुपेण पूर्ति करने में उन्हें आवश्यक सहयोग इत्यादि प्रदान करें।** ताकि उक्त प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार आवश्यक वांछित कार्यवाही पूर्ण उपरान्त निर्धारित 24 बिंदुओं पर आधारित वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑनलाईन में भरा जाने वाला प्रपत्र भाग–2 (PART-II) में नियमानुसार वांछित पूर्ण जानकारी भरी जाकर प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्ड कापी में वनवृत्त कार्यालय बालाघाट (म.प्र.) की ओर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

(ग्रेजेश कुमार वरकड़े)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

F:\Computer 2\DM\Project\Arpan Ferro Alloys Balaghat\Memo.doc